सरकूलर नं0: अपमा/2014–2016/284 दिनांक : 28–3–2016

# ''व्यापारियों का महाकुम्भ''

## राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन दिनांक 4, 5 एवं 6 अप्रैल 2016
## स्थान : तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन के लिए उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। व्यापारियों के कष्टों और सरकार की विभिन्न नीतियां जोकि देश में व्यापार के निर्बाध प्रवाह में बाधा डाल रही है उन सभी संबंधित मुद्दों को उठानें के लिए कन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) एक ''राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन 4, 5, एवं 6 अप्रैल 2016 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित करने जा रही है।

वर्तमान परिदृश्य में हम हमारे व्यापार के लिए कई चनौतियों का सामना कर रहें हैं, हमं अपने एजेन्डें को प्राथमिकता देने की तथा देश के व्यापारिक समुदाय पर सरकार का ध्यान कंद्रित करवानें की आवश्यकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योगों, एमएसएमई, किसानों, हॉकरों, ट्रासपोर्टरों और उपभोक्ताओं आदि अर्थव्यवस्था के सभी अन्य क्षेत्रों में एक नीति और अलग मंत्रालय है परन्तु खेद है कि इसी देश में केवल व्यापारो समुदाय के लिए न तो कोई नीति है और न ही कोई मंत्रालय है। व्यापारियों के लिए किसी भी नीति एवं मंत्रालय के अभाव में हमें सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस सम्मेलन में व्यापारियों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को उठाने और उन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास अच्छा अवसर है। इस सम्मेलन में जिन–जिन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाऐगी, उनकी जानकारी इस सरकूलर में दी जा रहीं हैं।

कृ0प0उ0.....2

01. वैट रिफण्ड का पूरा भुगतान किया जाए।
02. देश में सरलीकृत जीएसटी कर प्रणाली लागू हो।
03. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स एक्ट खाद्य व्यापार के अनुकूल बने।
04. रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने और केन्द्र में एक आंतरिक व्यापार मंत्रालय का गठन हो।
05. नकद रहित अर्थव्यवस्था के चलन के लिए आवश्यक लाभ और सुविधाएं दी जाए।
06. मुद्रा योजना को व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। मुद्रा को एक स्वतंत्र रेगुलेटर और डेवलपर बनाने हेतु संसद में कानून लाया जाए।
07. व्यापारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए।
08. ई—कॉमर्स एवं डायरेक्ट सेलिंग के लिए पृथक से कानून बनायें जाए।
09. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड को लॉजिस्टिक उद्योग घोषित किया जाए।
10. व्यापारियों के लिए क्रेडिट रेटिंग मापदण्डों को पुनः परिभाषित किया जाए।
11. रिटेल व्यापार एवं ई—कॉमर्स में एफडीआई को अनुमति न दी जाए।
12. गुजरात की तर्ज पर दिल्लो व महाराष्ट्र सहित अन्य शहरों में किराया कानून बने।
13. ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी व्यवस्था को आसान, विश्वसनीय और बेहतर बनाया जाए।
14. व्यावसायिक मार्केटों में मूलभूत सुविधएं उपलब्ध करायी जाए।
15. व्यापारियों की और मार्केटों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
16. वर्तमान रिटेल व्यापार को आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण करते हुए उच्चस्तरीय बनाया जाए।
17. प्राकृतिक आपदा के समय व्यापारियों को विशेष सहायता देने की नीति बनायी जाए।
18. खाद्यान और जरूरी वस्तुओं को वायदा कारोबार से बाहर निकाला जाए।
19. महिलाओं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष नीति बनाई जाए।
20. व्यापार पर लगे सभी कानूनों की पुनः समीक्षा की जाए।
21. वायदा कारोबार और एपीएमसी कानून के नियम पुनः परिभाषित किए जाए।
22. व्यापारियों के लिए इन्श्योरेंस, पेंशन और कर संग्रह में लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा नीति बनाई जाए।

अतः आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम को तथा इसके उद्देश्य को सफल बनावें।

---

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव